खास खबरें

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज

नप्र, भोपालः मिसरोद थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर से 15 वर्षीय नाबालिग के लापता होने पर परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार अज्ञात व्यक्ति लड़की को अपने साथ ले गया। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

एक्टिवा स्कूटर चोरी आरोपी की तलाश

मंगलवारा थाना क्षेत्र की मिजाज कॉलोनी, करोंद से एक एक्टिवा स्कूटर चोरी हो गया। वाहन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चोरी गई स्कूटर की कीमत करीब 12 हजार रुपये बताई गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

वन भवन के सामने सड़क हादसा

टीटी नगर थाना क्षेत्र में वन भवन के सामने तेज और लापरवाही से वाहन चलाने वाले कार चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी चालक की पहचान की जा रही है।

नाथूबरखेड़ा में वाहन की टक्कर से मामला दर्ज

रातीबड़ थाना क्षेत्र के नाथूबरखेड़ा में एक वाहन चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

न्यायालय परिसर के पास कार चालक पर केस

एमपी नगर थाना क्षेत्र में न्यायालय परिसर के पास एक कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

कैंपियन स्कूल के पास कार ने मारी टक्कर

चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में कैंपियन स्कूल के पास एक कार चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने की घटना हुई। घायल पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

बायपास भौंरी में ट्रक चालक पर कार्रवाई

खजूरी सड़क थाना क्षेत्र के बायपास भौंरी में ट्रक चालक द्वारा तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की।

अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार

रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर गोरेगांव में पुलिस ने एक युवक को अवैध रूप से शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 48 क्वार्टर देशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 4,800 रुपये बताई गई है।

जहर खाने से महिला की मौत

छोला मंदिर थाना क्षेत्र की 60 वर्षीय महिला की जहर खाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगीकरण पर विशेष फोकस करें कलेक्टर : मुख्य सचिव

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण और मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी योजनाओं और लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, ताकि लोगों को त्वरित लाभ मिल सके। गुरुवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने एसडीएम-एसडीओपी तथा कलेक्टर-एसपी को संयुक्त भ्रमण करने, साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने और अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीजीपी ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ड्रग-फ्री जोन विकसित करने और साइबर जागरूकता अभियान तेज करने को कहा।

सुशासन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन, भू-अधिग्रहण, नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में सुधार से नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, टीबी मुक्त भारत अभियान, कुपोषण उन्मूलन और पेयजल स्रोतों की नियमित जांच पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों और डॉक्टरों की पदस्थापना की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में स्कूल शिक्षा, जल जीवन मिशन, जनजातीय विकास, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, संबल योजना और नगरीय क्षेत्रों में पीएनजी विस्तार की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी बच्चों का स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की वापसी तथा प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु आश्रय स्थल और एबीसी सेंटर विकसित करने पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रदेश में सुशासन और विकास की गति और तेज हो सके।

व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क समाप्त करने की मांग प्रतिनिधि मंडल ने निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

नप्र, भोपालः भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से मुलाकात कर भोपाल में लागू व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यह शुल्क प्रदेश के अन्य किसी भी नगरीय निकाय में लागू नहीं है, जबकि भोपाल के व्यापारियों से इसकी वसूली की जा रही है।

चेंबर के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने बताया कि भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रमुख संगठन है। संस्था लंबे समय से इस शुल्क को समाप्त करने की मांग कर रही है, क्योंकि इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। चेंबर के संचालक एवं समिति संयोजक अनिल चुग ने कमिश्नर को बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल 2023 को व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क लागू किया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध और विभिन्न विसंगतियों के चलते 25 अप्रैल 2023 को इसे पूरे प्रदेश में स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद भोपाल में यह शुल्क अब भी प्रभावी है, जो 'एक प्रदेश-दो कानून' जैसी स्थिति पैदा करता है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि भोपाल में भी इस शुल्क को समाप्त कर व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए।

दस हजार का इनामी गिरफ्तार शरण देने वाले को भी दबोचा

नप्र, भोपालः गांधीनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश तरुण पथरोड उर्फ तनु (30) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब तीन माह से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसकी तलाश लगातार की जा रही थी।

पुलिस ने आरोपी को शरण देने वाले उसके साथी संजय सरसवान (36) को भी गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान संजय की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ, जिसके आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2026 को गांधीनगर क्षेत्र में एक कैफे संचालक पर पैसों के विवाद को लेकर प्राणघातक हमला किया गया था। इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी।

कार्यालय प.ह.नं.-38 मुख्यालय सेवनिया ओंकारा रा.नि.मं-04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र. कं.- 0236/अ-12/2026-27
ग्राम का नाम अरेड़ी
प.ह.नं.- 38 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

प्रति, 1. बी रामकुमार अय्यर पुत्र डी पी अय्यर निवासी एमआईजी 77 के सेक्टर सोनागिरी भोपाल (म.प्र.)। 2. शिवदुलारी पुत्री रामप्रसाद सिंह निवासी भोपाल (म.प्र.)। 3. उमेश सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह निवासी भोपाल (म.प्र.)। 4.जे आर एस रियल इस्टेट डेवेलपर्स द्वारा जयशंकर शुक्ला पुत्र बोध नारायण शुक्ला, राजू भट्ट आ. श्री जीवन लाल भट्ट एवं कृष्णा शर्मा पत्नी शशिकांत शर्मा निवासीगण निवासी भोपाल (म.प्र.)। 5. चंद्रलता जैन पत्नी राजकुमार जैन निवासी ए 42 सच्चिदानंद नगर भोपाल (म.प्र.)। 6. अनीसा बेगम पत्नी मकसूद अख्तर खान निवासी 4 चर्च गेट जहांगीराबाद भोपाल (म.प्र.)। 7. साक्षी तिवारी पुत्री सी बी तिवारी निवासी दुर्गेश विहार अयोध्या बायपास भोपाल (म.प्र.)। 8. चन्द्रभान तिवारी पुत्र एच पी तिवारी निवासी दुर्गेश विहार अयोध्या बायपास भोपाल (म.प्र.)। 9. भगवान सिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी ग्राम अरेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)। 10. निशा राय पत्नी राकेश राय निवासी 86 राजौरा स्टेट खजूर कलां भोपाल (म.प्र.)11. अशोक कुमार सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह व सुश्री प्रेरणा गौतम पुत्री अशोक कुमार सिंह निवासी सिनियर एच आई जी बी 122 फेस 05 पार्ट 1 अयोध्या नगर भोपाल (म.प्र.)। 12. निगहत परवीर पत्नी एम बी खान व मो. बदन खान पुत्र जे खान कु नौरीन कु शादमीन खान पुत्रियां एम बी खान निवासीगण 171 नगर निगम कॉलोनी अशोक विहार नियर अशोका गार्डन भोपाल (म.प्र.) 13. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती निगहत परवनी पत्नी एम बी खान निवासी- 171 अशोका विहार अशोका गार्डन भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम अरेड़ी प.ह.नं-38 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 251/1 रकबा 0.130 हे एवं खसरा नंबर 253/2 रकबा 0.870 हे इस प्रकार कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 30/06/2026 को समय दोपहर 2:00 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। नोट:- अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(पटवारी-प.ह.नं. 38
रा.नि.म. 04 बिलखिरिया तहसील हुजूर जिला भोपाल

713

हमीदिया अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति मृत मिला

नप्र, भोपालः अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में हमीदिया अस्पताल में भर्ती एक अज्ञात करीब 40 वर्षीय व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

महिला के लापता होने पर गुमशुदगी दर्जः पिपलानी थाना क्षेत्र की 27 वर्षीय महिला बिना बताए घर से चली गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। महिला की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है।

युवती के लापता होने से परिजन परेशानः मिसरोद थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर से 15 वर्षीय युवती के लापता होने पर गुम इंसान दर्ज किया गया है। पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेकर खोज अभियान शुरू कर दिया है। युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

युवक की उपचार के दौरान मौतः छोला मंदिर थाना क्षेत्र के 22 वर्षीय युवक की जहर खाने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है। आत्महत्या या अन्य कारणों की जांच की जा रही है।

आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक : नरोत्तम

नप्र, भोपालः आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था और यह कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रमाण है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सत्ता बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने संविधान की मूल भावना को कुचलते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व सेंसरशिप लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और स्वयं को संविधान से ऊपर रखने का प्रयास किया।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूजा तिवारी पत्नी श्री बृजेश कुमार तिवारी फ्लैट नं. 503, ब्लॉक नं. 01, रीगल नेस्ट, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) आधार नं. 826280322155 हैं। मेरा विवाह दिनांक 16.04.2015 को श्री बृजेश कुमार तिवारी के साथ संपन्न हुआ था। विवाह पूर्व मेरा नाम पूजा पाण्डेय, पुत्री श्री सुरेश कुमार पाण्डेय था, जो मेरे पूर्व दस्तावेजों में अंकित है। विवाह उपरांत मेरा नाम पूजा तिवारी, पत्नी श्री बृजेश कुमार तिवारी हो गया है तथा मैं इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ। अतः पूजा पाण्डेय एवं पूजा तिवारी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

711

कार्यालय नगर पालिका निगम,भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा
छठवां तल,मुख्यालय भवन,तुलसी नगर, सेकेण्ड स्टाप

क्र.1234/6/वैध/का.प्रको./2026 **भोपाल दिनांक 04/05/2026**

सार्वजनिक विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत

सर्वसाधारण जनता की जानकारी के लिए इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि मेसर्स जय शिव ऐसोसियेट्स द्वारा श्री रविन्द्र शुक्ला पुत्र श्री बालकिशन शुक्ला द्वारा ग्राम हताईखेड़ा स्थित भूमि खसरा क. 123/1/1/1/2(S) कुल रकबा 1.465 हेक्टे. (14650.00 वर्गमीटर) में से 1.2575 हेक्टे. भूमि पर आवासीय भूखंड विकास हेतु भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र के अधीन भूखण्ड धारक होकर क्षेत्र में "MAI ENCLAVE" निर्मित करने जा रहे है नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक-BPLLP 02122525421 दिनांक 28/12/2025 में भूखण्ड क्र. 48 क्षेत्रफल - 1085.6 वर्गफीट, भूखण्ड क्र.- 49 क्षेत्रफल 1083.3 वर्गफीट, भूखण्ड क्र. 50 क्षेत्रफल- 1292.6 वर्गफीट, भूखण्ड क्र. 51 क्षेत्रफल 1253.5 वर्गफीट, भूखण्ड क्र. 52 क्षेत्रफल- 1658.53 वर्गफीट, भूखण्ड क्र.- 53 क्षेत्रफल 1869.9 वर्गफीट, भूखण्ड क्र. 54 क्षेत्रफल - 938.7 वर्गफीट, भूखण्ड क्र.- 55 क्षेत्रफल 903 वर्गफीट, भूखण्ड क्र. 56 क्षेत्रफल 869.4 वर्गफीट, भूखण्ड क्र.- 57 क्षेत्रफल- 837.9 वर्गफीट, इस प्रकार कुल 10 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 11792. 43 वर्गफीट अर्थात 1095.95 वर्ग मीटर नगर निगम भोपाल के अधीन बंधक रखे गये है। जिसका ई-पंजीयन संख्या क्र. MP43IGR 16962026A100450798 दिनांक 13/04/2026 देकर किया गया है। जिसमें 01 से 08 पृष्ठ समाविष्ट है। ये भूखण्ड/प्रकोष्ठ/दुकानें इस क्षेत्र की कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार बंधक मुक्त किये जावेगे तथा इसी के पश्चात् इन भूखण्ड/प्रकोष्ठ/दुकानों का विक्रय किया जा सकेगा।अतः सर्व साधारण इन भूखण्डों / प्रकोष्ठों / दुकानों के संबंध में न तो अनुबंध करें न ही किसी भी प्रकार के विक्रय, बंधक तथा अन्तरण की कोई कार्यवाही करें अन्यथा वह निरस्त मानी जावेगी अतः सूचित हो।

सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक नगर पालिक निगम भोपाल

712

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग भोपाल-03
मोबा. : 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com
क्र. - मप्रपुआअविनि/712/पयं/भोपाल-03/तशा/2026
भोपाल, दिनांक :- 25.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-3 अंतर्गत जिला रायसेन, नर्मदापुरम एवं बैतूल निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु निविदा क्रमांक 05/2026-27 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक **517599, 517601, 517602, 517603** आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 06.07.2026 सायं 5:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/126572/2026 **परियोजना यंत्री**

कार्यालय थाना प्रभारी थाना बैरागढ भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/ था.प्र./बैरा./भो./डी-569/26 **दिनांक 20.06.26**

आम इश्तेहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना बैरागढ भोपाल के इस्तगासा क्रमांक 01/2026 धारा 25 पुलिस एक्ट में 30 दो पहिया वाहनों को जप्त किए गया है। जप्त शुदा वाहनों की सूची थाना बैरागढ भोपाल के सूचना पटल बोर्ड पर चस्पा की गई है। जो थाने में रखे हुए हैं जो कबाड व जर्जर हो रहे हैं। आज दिनांक तक किसी भी वाहन स्वामी ने अधिपत्य का दावा नहीं किया है।

अतःथाने की सूचना पटल पर चस्पा किए गए वाहनों की सूची के स्वामित्वदारों को आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त वाहन का कोई भी व्यक्ति जो दावा करता है अपने मूल दस्तावेज लेकर थाना बैरागढ भोपाल में दिनांक 15.07.26 तक उपस्थित होवे या थाना बैरागढ भोपाल के दूरभाष नंबर 0755-2641223 मो.नं. 7049105790 पर संपर्क करें अन्यथा जप्तशुदा वाहनों की सार्वजनिक नीलामी श्रीमान एस.डी.एम महोदय के आदेश से निष्पादित की जावेगी। दिनांक 15.07.26 के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

थाना प्रभारी
जी-14938/26 **थाना बैरागढ़ जिला भोपाल (म.प्र.)**

कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भोपाल संभाग भोपाल

(शेड क्रमांक 1 पुराना सचिवालय कमिश्नर आफिस के पीछे भोपाल)
{Email:pswbho@mp.nic.in}

क्रमांक/पोषक/2026-27/I/1111488/2026 **भोपाल दिनांक 23-06-2026**

निविदा

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं का आवासीय छात्रावास भोपाल में संचालित है, जिसमें दिव्यांग बालक/बालिकाएँ छात्रावास में निवासरत है। वर्ष 2026-27 में छात्रावासी दिव्यांग बालक/बालिकाओं को चाय नाश्ता एवं भोजन की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मस/एजेंसियों से सीलबंद निविदाएँ दिनांक 17/07/2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदाएँ, उसी दिनांक को सायं 4.00 बजे निविदा समिति के समक्ष कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला भोपाल (शेड क्रमांक 1 पुराना सचिवालय कमिश्नर आफिस के पीछे भोपाल) के कार्यालय में खोली जायेंगीं।

निविदा फार्म कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला भोपाल से रूपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का एम.पी.टी.सी.6 के माध्यम से कार्यालय में भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा इस कार्यालय से प्रदाय किए गये मूल फार्म में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जी-14936/26 **भोपाल संभाग भोपाल**

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप जिला-रायसेन

दूरभाष एवं फैक्स नम्बर 07480-407022 Email - cmomandideep@mpurban.gov.in

क्र0/1959 / न.पा.प./2026 **मंडीदीप, दिनांक 25/6/2025**

ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत निविदादाताओं से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईड https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है ।

निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की अंतिम तिथि
2026_UAD_517801_1	निकाय क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्रमांक 10 कंटेनर डिपो के पास एकत्रित कचरे को ट्रेचिंग ग्राउन्ड गुराडिया में डम्प किये जाने हेतु 01 नग डम्पर/ट्रक 06 माह हेतु ड्राईवर एवं सहयोगी हेल्पर सहित तथा डीजल छोड़कर किराये से लिया जाना।	16,40,000/-	12,300/-	2,000/-	02-Jul-2026 05:30 PM

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन बेवसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा।

प्रियंका राजेन्द्र अग्रवाल
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद मंडीदीप

पुष्पा प्रेमशंकर साहू
उपाध्यक्ष
नगरपालिका परिषद मंडीदीप

सुधीर उपाध्याय
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंडीदीप

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड, मेट्रो प्लाजा, कामर्शियल काम्पलेक्स, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) में स्थित दुकान क्रमांक 15/ए (प्रथम तल) मण्डल द्वारा (1) श्री प्रताप नारायणं शुक्ला आत्मज स्व. श्री गोपाल नारायण शुक्ला (2) श्रीमती रमा शुक्ला पत्नी श्री प्रताप नारायण शुक्ला के नामों से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 06/12/2004 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत किया गया है। इनमें से श्री प्रताप नारायण शुक्ला का स्वर्गवास दिनांक 10/10/2022 को हो गया है। आवेदक आवंटी की पत्नी श्रीमती रमा शुक्ला पत्नी स्व. श्री प्रताप नारायण शुक्ला द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में से स्व. श्री प्रताप नारायण शुक्ला का नाम विलोपित कर श्रीमती रमा शुक्ला अपने एकल नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति में से नाम विलोपित कर नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

710

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र.0047/अ-12/2026-27

सर्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/ बटान/ बटवारा/ सीमांकन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 7/7/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/ बटान/ बटवारा/सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:- ग्राम का नाम सिंगारचोली, खसरा नंबर 35/1/2/2/1/36,102/35/1 क्षेत्रफल 0-2260 हेक्टेयर, उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (1) आफाक मोहम्मद, (2) अतीफ मो. (3) अतिया खान (4) शकीला खान (5) रशीदा खान (6) सादिका बी निवासी शहर आज दिनांक 25/6/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल

709

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जयप्रकाश जिला-चिकित्सालय भोपाल (मध्यप्रदेश)

पता : 1250 तुलसी नगर, भोपाल (csurgeon.bhopal@mp.gov.in, csjphbpl@gmail.com, Phone 0755-2985556)

क्रमांक/ज.प्र.जि.चि. /2026/21645 **भोपाल दिनांक : 22/06/26**

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

जयप्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल मे वर्ष 2026-27 हेतु अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अग्निशामक यंत्रों की आवश्यकता हैं। रोगियों, अस्पताल स्टॉफ, आगंतुकों तथा अस्पताल संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मानक, प्रमाणित एवं विश्वसनीय अग्निशामक यंत्रों की आपूर्ति, स्थापना एवं संचालन हेतु योग्य एवं अनुभवी फर्मो / आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएँ एम पी टेण्डर पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा मे इच्छुक निविदाकार ऑनलाईन निविदा जमा कर सकते है। निविदा से संबंधित शर्ते, नियम, संशोधित पत्र आदि का विस्तृत ब्यौरा समय समय पर एम पी टेण्डर पोर्टल की वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर ऑनलाईन देखा जा सकता हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रं.	विवरण	तिथि एवं समय
01	अनुमानित लागत	Rs. 5,00,000/-
02	ई.एम.डी. (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) एम.पी. टेण्डर पोर्टल के माध्यम से भुगतान की जाएगी	Rs. 15,000/-
03	निविदा शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	Rs. 1,500/- कर अतिरिक्त
04	प्रकाशन तिथि	27-06-2026 At 09:30 AM
05	दस्तावेज डाउनलोड / विक्रय प्रारंभ तिथि	27-06-2026 At 10:30 AM
06	दस्तावेज डाउनलोड/विक्रय समाप्ति तिथि	16-07-2026 At 11:30 AM
07	निविदा (बिड) जमा करने की प्रारंभ तिथि	27-06-2026 At 11:30 AM
08	निविदा (बिड) जमा करने की अंतिम तिथि	16-07-2026 At 12:30 PM
09	प्री-बिड बैठक की तिथि	08-07-2026 At 11:30 AM
10	तकनीकी निविदा (बिड) खोलने की तिथि	20-07-2026 At 11:30 AM
11	तकनीकी निविदा खोलने का स्थान	सिविल सर्जन कक्ष क्रमांक 21 'बी'-ब्लॉक, जयप्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल म.प्र.
12	वित्तीय निविदा (बिड) खोलने की तिथि	समिति द्वारा निर्धारित
13	वैद्यता	अनुबंध दिनांक से 02 वर्ष तक वैद्य

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जी-14930/26 **जयप्रकाश जिला-चिकित्सालय, भोपाल**

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2026-27/..(संक्षिप्त) /1528 **भोपाल, दिनांक 25-6-2026**

शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर हाईटेक हब स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से 'आन-लाईन' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्न श्रेणियों अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 1.00 लाख के बैंक ड्रॉफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्रॉफ्ट 'संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल' के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होंगे उनकी धरोहर राशि की 15 प्रतिशत राशि राजसात कर ली जायेगी।

क्रं.	शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब	लक्ष्य			
		सामान्य	अनु. ज. जा.	अनु.ज.	योग
1	गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू,1.30 करोड़ तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 52.00 लाख तक अनुदान देय होगा।	11	2	2	15
	योग	**11**	**2**	**2**	**15**

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक हाईटेक हब हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों का उल्लेख विस्तृत विज्ञापन में प्रदाय किया गया है। अनुदान की गणना सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रदत्त दिशा-निर्देशों में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है-

1	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 30 जून 2026 से 13 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	दिनांक 14-15 जुलाई 2026 प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का. अवलोकन किया जायेगा।
3	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	दिनांक 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 17 जुलाई 2026 को शाम 4.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)

विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट (www.chc.mpdage.org) पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
जी-14943/26 **मध्यप्रदेश भोपाल**